आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम वाद संख्या 97/13–14

जाहन्वी कुमार सिंह उर्फ गोपाल सिंह वनाम् रामस्वरूप पासवान एवं अन्य

आदेश

5.09.14

आवेदक जाहन्वी कुमार सिंह उर्फ गोपाल सिंह पिता स्व० राधो प्रसाद सिंह ग्राम पुरान थाना करपी जिला अरवल हाल मुकाम 'गंगोत्री गंगा बिहार', आर० पी० एस० रोड, दानापुर पटना ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर प्रतिवादी के अवैध एवं अनाधिकृत बेदखली के प्रयास से रोकने का अनुरोध किया है। साथ ही आवासीय भूमि सिड्यूल नं० 01 में वर्णित है,पर अवैध एवं अनाधिकृत रूप से भूमि के स्वरूप में परिवर्तन में तत्काल रोक लगाने, कृषि योग्य भूमि जो सिड्यूल 02 में वर्णित है पर अवैध एवं ,अनाधिकृत रूप से प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे कृषि कार्य पर रोक लगाने एवं अनाधिकृत बेदखली में प्रतिवादीगण से मुक्त करा कर वादी वैध एवं अधिकृत दखल दिलाने का भी अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम अनुआ, थाना करपी, जिला अरवल में अवस्थित है,निम्न है:–

सिड्यूल नं० 01 निर्माणाधीन मकान का ब्योरा

खाता नं०	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
35	447	0.21 डी०	**निमार्णकर्ता का नाम:–** विमल मोची प्रतिवादी संख्या 09 एवं विनोद मोची, प्रतिवादी संख्या 10 पिता रामदयाल मोची
48	449	0.56 डी०	**निमार्णकता का नाम:–** राजेन्द्र पासवान प्रतिवादी संख्या 30 वृजनन्दन पासवान प्रतिवादी संख्या 33 पिता स्व० मुण्ड पासवान सत्य नारायण पंडित प्रतिवादी संख्या 35 पति स्व० बाढू पंडित एवं उदश्वर पंडित प्रतिवादी संख्या 37
45	260	0.16 डी०	**निमार्णकर्ता का नाम:–** सत्येन्द्र पंडित प्रतिवादी संख्या 13 संजय पंडित प्रतिवादी संख्या 14 ममलेश पंडित प्रतिवादी संख्या 15, सहेन्द्र पंडित प्रतिवादी संख्या 16 एवं राज कुमार पंडित प्रतिवादी संख्या 17 पिता स्व० रामानन्द पंडित
54	424	0.20 डी०	**निमार्णकर्ता का नाम:–** राम रोहन पंडित प्रतिवादी संख्या 36 वल्द संख्या बाढू पंडित एवं बसंत पंडित प्रतिवादी संख्या 42 वल्द स्व० शत्रुधन पंडित
51	282 283	0.28 डी० 0.27 डी०	**निमार्णकर्ता का नाम:–** एमालगेटेड गोरख चौधरी प्रतिवादी संख्या 44 वल्द स्व० गजन चौधरी

72	448	0.38 डी०	**निमार्णकर्ता का नामः–** अर्जुन चौधरी प्रतिवादी संख्या 21,सरयुग चौधरी प्रतिवादी संख्या 22 पिता स्व० ज्ञानचन्द्र चौधरी एवं मंनु चौधरी प्रतिवादी संख्या 38 वल्द मानिक वल्द चौधरी

सिड्यूल नं० 02 कृषि योग्य भूमि का विवरण

खाता	प्लॉट	एराजी
34	797	0.12
	804	0.70
45	701	0.24
49	790	0.11
51	262	0.28
	292	0.18
	293	0.20
	316	0.28
52	704	0.07
	705	0.50
53	780	0.68
	765	0.50
	794	0.10
	796	0.13
58	544	0.14
72	528	0.51
73	690	0.62
	691	0.11
	776	0.46
	730	0.30
75	782	0.37
	686	0.78
	761	1.21
	731	1.74
	732	0.08
	529	0.26
84	543	0.09
98	322	0.10
100	445	0.11
101	697	0.76
	698	0.10
60	699	0.04
	700	0.36
62	726	0.26
64	709	0.05
	710	0.54
71	550	0.18

101	712	0.07
112	862	0.48
	863	0.07
	883	0.04
	884	0.86
	885	0.65
	929	2.81
122	820	0.43
	821	0.16
	888	0.01
	889	0.78
	838	0.04
	839	0.66
258	1540	0.06
	1541	0.75
101	784	0.76
	530	0.56
	724	0.12
	758	0.36
	760	0.50
	711	1.20
258	1549	0.63
259	1554	0.49
	1561	0.14
261	1546	1.28
	1558	0.41
262	1547	1.26
	1551	0.20
	1562	0.33
	1559	0.37
263	1552	0.35
264	1555	1.19
	1560	0.31
265	1545	1.28
	1553	0.60
	1557	0.42
266	1548	0.21
	1564	0.50
354	913	0.47
355	914	0.21
	कुल योग भूमि 35.01 डी०	

अवस्थित मौजा अनुऑ थाना करपी जिला अरवल।

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से

नोटिस निर्गत किया गया। वाद के दौरान फुलेन्द्र मोची वगैरह ने सूचित किया है कि उनके पिता स्व० रामईश्वर मोची जिनकी मृत्यु पूर्व में ही चुकी है,को पक्षकार बनाया गया है। उन्होनें रामईश्वर मोची के कानून उतराधिकारियों का भी नाम दिया जिन्हें बाद में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के आवेदन पर स्व० रामईश्वर मोची के नाम के स्थान पर स्थापित किया गया। विपक्षीगण स्वयं उपस्थित हुए,उनके तरफ से पैरवी करने हेतु कोई अधिवक्ता तैयार नही हुए। वाद की सुनवाई की गई।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित भूमि वादी के पूर्वज को नीलामी से प्राप्त है तथा वर्ष 1944 में पारिवारिक बॅटवारा में वादी के पिता को प्राप्त हुआ।

(2) विवादित भूमि का डिमाण्ड वादी के पिता स्व० राधो प्रसाद सिंह के नाम कायम हुआ तथा उनके मृत्यु पश्चात् भूमि का डिमाण्ड वादी के नाम कायम हुआ जिसका अद्यतन राजस्व भुगतान वादी द्वारा किया जा रहा है।

(3) वर्ष 1973–1974 में सिलींग केस नं० 1054/कायम हुआ जिसमें वादी के पिता स्व० राधो प्रसाद सिंह ने अपना संपूर्ण भूमि का विवरण पारिवारिक यूनिट के साथ दाखिल किया जिसमें अधिक भूमि न पाये जाने के उपरान्त उक्त सिलिंग मुकदमा बंद कर दिया गया। वह रिटर्न हकीयत वाद संख्या 60/2005 में प्रदर्श–ए अंकित किया जा चुका है।

(4) वर्ष 1984–1985 में प्रतिवादीगण प्रतिबंधित संगठन से जुडकर सम्पूर्ण भूमि पर लाल झण्डा गाड़ कर अवैध दखल कब्जा कर खरीफ फसल लगा दिया जिसके उपरान्त 17.08.1985 को तत्कालीन अनुमंडल दण्डाधिकारी,जहानाबाद,तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता,जहानाबाद एवं तत्कालीन अंचल अधिकारी,करपी के अध्यक्षता में प्रतिवादीगण एवं वादी के बीच समझौता पत्र तैयार किया गया जिसमें कण्डिका 03 एवं 04 में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि वर्ष 1985 के खरीफ एवं भदई फसल के कटनी एवं वादी एवं प्रतिवादी के बीच फसल के बॅटवारा के बाद पुनः शक्ति के आधार पर वादी के भूमि पर कोई दखल कब्जा नही करेगें तथा वादी के कृषि कार्य में बाधा एवं अशांति नही पहुॅचायेगें तथा किसी प्रकार का वादी के भूमि पर दावा नहीं करेगें। यह समझौता पत्र हकियत वाद संख्या 60/2005 में प्रदर्श 'बी' अंकित है।

(5) यह कि 1986–1987 में प्रतिवादीगण उपरोक्त वर्णित समझौता पत्र की कंडिका 3 एवं 4 में वर्णित बातों का उल्लंधन करते हुए वादी के पिता के विरूद्व बटाईदारी वाद संख्या 05/1985 तथा 12/1985 एवं 44/1986–1987 तथा 49/86–87 अनुमंडल पदाधिकारी,जहानाबाद के न्यायालय में लाया जो माननीय उच्च न्यायालय तक अमान्य कर दिया गया अर्थात् निर्णय वादी के पिता के पक्ष में हुआ।

(6) पुनः प्रतिवादीगण वर्ष 2000 में पुनः वादी के भूमि पर कृषि कार्य में व्यवधान एवं अशान्ति उत्पन्न करने लगे जिसके कारण वादी के द्वारा धारा 145 द०प्र०सं० वाद संख्या 865/2000 कायम हुआ जिसमें दिनांक 26.11.2002 को अनुमंडल दण्डाधिकारी,जहानाबाद के द्वारा सम्पूर्ण कृषि योग्य भूमि को धारा 146 द०प्र०सं० में अटैच कर प्रभारी बंशी ओ०पी० को कृषि कार्य सम्पादन हेतु रिसिवर प्रतिनियुक्त किया गया।

(7) धारा 145 द०प्र०सं० वाद संख्या 865/2000 दिनांक 28.06.2004 को वादी का कब्जा धोषित किया गया।

(8) उपरोक्त आदेश के विरूद्व प्रतिवादीगण माननीय उच्च न्यायालय,पटना में किमिनल रिविजन 451/2005 दायर किये जो खारिज कर दिया गया।

(9) पुनः प्रतिवादीगण व्यवहार न्यायालय,जहानाबाद में हकियत वाद संख्या

60/2005 वादी के विरूद्व दायर किये जिसमें 30.05.2013 को निर्णय वादी के पक्ष में विद्वान सब जज 4 जहानाबाद के द्वारा किया गया।

(10) हकियत वाद अन्तर्गत निर्णय पश्चात् सभी प्रतिवादीगण एक नाजायज गुट कायम कर वादी के कृषि योग्य भूमि पर बलपूर्वक खेती करना चाह रहे है तथा आवासीय भूमि का बलपूर्वक अवैध एवं अनाधिकृत रूप से मकान निर्माण करना प्रारम्भ कर दिये जिसके कारण उक्त वाद श्रीमान् के न्यायालय में दाखिल किया जा रहा है।

(11) यहॉ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि 26.12.2009 को वादी के आवासीय भूमि पर प्रतिवादी द्वारा निर्मित अवैध एवं अनाधिकृत आवास निर्माण को माननीय उच्च न्यायालय,पटना के आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी,अरवल एवुं अंचल अधिकारी,करपी एवं बंशी के उपस्थिति में सशस्त्र बल के सहयोग से सरकारी मशीनरी से सभी मकान को ध्वस्त कर वादी को सम्पूर्ण भूमि पर दखल–कब्जा दिलाया गया था।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मॉगी गयी अनुतोष को स्वीकृत करने का अनुरोध वादी के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

विपक्षीगण बहस में उपलब्ध नही हुए,परन्तु उनके द्वारा लिखित बहस दाखिल किया गया।

विपक्षीगण ने लिखा है कि:–

(1) वादी स्वत्व वाद में प्रश्नगत् जमीन में कब्जा का दावा किया है जबकि अपने भूमि विवाद आवेदन में यह कहीं नहीं कहा है कि स्वत्व वाद के फैसले के बाद प्रतिवादीगण ने उन्हें बेदखल कर दिया है। जबकि सच्चाई यह है कि प्रतिवादी पच्चासों साल से प्रश्नगत् जमीन को जोत रहे है।

(2) स्वत्व वाद के फैसले के खिलाफ हकियत अपील नं० 25/2013 जिला जज के न्यायालय में चल रहा है। इसलिए यह वाद धारा 4 (क) बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 से बाधित है।

(3) उल्लेखनीय है कि अपीलवाद को वाद का Coninuation माना जाता है,जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने नियमन 1989, बी० बी० सी० जे० (एस०सी०) पेज नं० 54 में उल्लेख किया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारिज होने योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 अन्तर्गत निम्नांकित अधिनियमों के अन्तर्गत विवादों का निराकरण करना है:–

(1) बिहार भूमि सुधार अधिनियम,1950

(2) बिहार कास्ताकारी अधिनियम,1985

(3) बिहार प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति वासगीत काश्तकारी अधिनियम,1947

(4) बिहार भू–दान यज्ञ अधिनियम 1954

(5) बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम 1961

(6) बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम 1956

आवेदक ने हकीयत वाद संख्या 60/2005 में दिनांक 30.05.13 में पारित आदेश एवं धारा 145 द० प्र० सं० ,वाद संख्या 856/2000 में दिनांक 28.06.04 को पारित आदेश के आलोक में उपरोक्त अनुतोषों की मॉग की है। विपक्षीगण के द्वारा स्वत्व वाद 60/2005 में पारित आदेश के खिलाफ दिनांक 18.06.13 को दायर स्वत्व अपीलवाद संख्या 23/2013 की प्रति दाखिल की गई है। चूँकि अपीलवाद को वाद का Continuation माना जाता है, स्वत्व वाद में पारित आदेश के आलोक में आवेदक के अनुतोषों को स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। चूँकि धारा 145 द०प्र०सं०उपरोक्त 6 अधिनियमों जिसके अन्तर्गत भूमि सुधार उप समाहर्ता को आदेश पारित करना है,के अन्तर्गत नही आता है,धारा 145 अन्तर्गत वाद संख्या 865/2000 में पारित आदेश के आलोक में भी आवेदक को अनुतोषों को स्वीकृत नही किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

5.09

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

5.09

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।